

समाहरणालय, मधेपुरा

(गोपनीय शाखा)

इंटरमीडिएट परीक्षा-2016

संयुक्त आदेश

अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पत्रांक-BSEB (SS)/315/SC/2015, दिनांक 30-11-2015 तथा के0/453 दिनांक 04-12-2015 के आलोक में इंटरमीडिएट परीक्षा-2016, दिनांक 24-02-2016 (बुधवार) से प्रारम्भ होकर दिनांक 05-03-2016 (शनिवार) को समाप्त होगी। इंटरमीडिएट परीक्षा के संचालन हेतु मधेपुरा जिलान्तर्गत कुल-30 (तीस) परीक्षा केन्द्र यथा- जिला मुख्यालय मधेपुरा में 24 (चौबीस) एवं उदाकिशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय में 06 (छः) परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। दिनांक 24-02-2016 से दिनांक 04-03-2016 तक उक्त परीक्षा दोनों पालियों में होगी, यथा- प्रथम पाली 09.45 बजे पूर्वाह्न से 01.00 बजे अप0 एवं द्वितीय पाली 01.45 बजे अप0 से 05.00 बजे अप0 तक होगी तथा दिनांक 05-03-2016 को परीक्षा एक पाली में होगी (परीक्षा कार्यक्रम संलग्न)। मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित सभी परीक्षा केन्द्रों की गोपनीय सामग्री (प्रश्न पत्र) भारतीय स्टेट बैंक, मधेपुरा तथा उदाकिशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय स्थित सभी परीक्षा केन्द्रों की गोपनीय सामग्री (प्रश्न पत्र) भारतीय स्टेट बैंक, उदाकिशुनगंज में रखवाया गया है। परीक्षा केन्द्रवार परीक्षार्थियों की संख्या इत्यादि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०	केन्द्र कोड	परीक्षा केन्द्र का नाम (लड़का /लड़की)	कुल आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या				कुल	सम्बद्ध बैंक का नाम
			कला	विज्ञान	वाणिज्य	Vocational		
1	849	टी०पी० कॉलेज, मधेपुरा (लड़का)	830	1869	28	0	2727	भारतीय स्टेट बैंक, मधेपुरा
2	850	टी०पी० कॉलेजिएट उच्च विद्यालय, मधेपुरा (लड़की)	481	125	0	0	606	
3	851	वीमेन्स इंटर कॉलेज, मधेपुरा (लड़की)	526	290	14	0	830	
4	852	पार्वती साईंस कॉलेज, मधेपुरा (लड़का)	957	1519	37	0	2513	
5	853	अनुग्रह उच्च विद्यालय, सुखासन चकला, मधेपुरा (लड़का)	282	491	1	0	774	
6	854	इवनिंग कॉलेज, मधेपुरा (लड़का)	366	614	22	0	1002	
7	855	गिरजा कपिलदेव उच्च विद्यालय, मधेपुरा (लड़का)	242	573	3	0	818	
8	856	मोहन शकुन्तला उच्च विद्यालय, मधेपुरा (लड़का)	131	204	3	0	338	
9	857	एस०एन०पी०एम० +2 विद्यालय, मधेपुरा (लड़की)	592	378	3	0	973	
10	858	रास बिहारी +2 विद्यालय, मधेपुरा (लड़की)	452	203	7	0	662	
11	859	केशव कन्या उच्च विद्यालय, मधेपुरा (लड़की)	829	387	24	0	1240	

12	860	शांति आदर्श मध्य विद्यालय, मधेपुरा (लइकी)	73	27	-	0	100	
13	861	एस0एन0पी0एम0 विधि महाविद्यालय, मधेपुरा (लइकी)	283	91	4	0	378	
14	862	आर0पी0 सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, महर्षि मेहीनगर, मधेपुरा (लइका)	319	828	15	0	1162	
15	863	के0बी0 महिला कॉलेज, मधेपुरा (+ Vocational) (लइकी)	395	219	3	4	621	
16	864	गवैन्मेन्ट गर्ल्स मिडिल स्कूल मधेपुरा (+Vocational) (लइकी)	274	96	0	11	381	
17	865	सी0एम0साईस डिग्री कॉलेज, मधेपुरा (लइका)	357	927	12	0	1296	
18	866	सी0एम0साईस इंटर कॉलेज, मधेपुरा (लइका)	614	1053	5	0	1672	
19	867	वेद व्यास कॉलेज, मधेपुरा (लइकी)	705	309	1	0	1015	
20	868	आर0पी0एम0 डिग्री कॉलेज, तुनियाही, मधेपुरा (लइका)	475	1153	6	0	1634	
21	869	आर0पी0एम0 इंटर कॉलेज, तुनियाही, मधेपुरा (लइका)	653	1097	30	0	1780	
22	870	मधेपुरा डिग्री कॉलेज, मधेपुरा (लइका)	905	1470	36	0	2411	
23	871	मधेपुरा इंटर कॉलेज, मधेपुरा (लइका)	613	1221	23	0	1857	
24	872	मिडिल स्कूल, भिरखी, मधेपुरा (लइकी)	221	103	1	0	325	
25	873	मिडिल स्कूल, उदाकिशुनगंज (लइकी)	302	96	0	0	398	भारतीय स्टेट बैंक, उदाकिशुनगंज
26	874	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कोशी कॉलोनी, उदाकिशुनगंज (लइकी)	548	161	0	0	709	
27	875	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, उदा /उदाकिशुनगंज (लइकी)	262	195	0	0	457	
28	876	एस0बी0जे0एस0 उच्च विद्यालय, उदाकिशुनगंज (लइकी)	642	333	2	0	977	
29	877	हरिहर साह कॉलेज, उदाकिशुनगंज (लइकी)	744	336	7	0	1087	
30	878	मधुराम उच्च विद्यालय, ग्वालपोड़ा (लइकी)	392	304	2	0	698	
सर्वयोग-			14465	16672	289	15	31441	

(1) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार, पटना से प्राप्त दिशा-निर्देश :-

अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक), पटना के पत्रांक BSIEB (SS)/771/CH/2016, दिनांक 03-02-2016 द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा, 2016 के लिए जिले में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन हेतु समुचित विधि-व्यवस्था /परीक्षा संचालन तथा उसकी गोपनीयता बनाये रखने हेतु आवश्यक निर्देश प्राप्त हुए हैं, जो निम्नवत हैं :-

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में भी परीक्षार्थियों के भविष्य के हित में यह परमावश्यक है कि परीक्षा स्वच्छ वातावरण में कदाचारमुक्त सम्पन्न हो। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन की जिम्मेवारी परीक्षा की पवित्रता बनाये रखने के लिए काफी बढ़ जाती है। चूंकि परीक्षा की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, अतः जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि परीक्षा कार्य में संलग्न अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश देने की कृपा करेंगे कि वे हर स्तर पर कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन हेतु पूर्ण सहयोग दें। इसके लिए बिन्दुवार निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित हैं :-

इंटरमीडिएट परीक्षा, 2016 से संबंधित सभी विषयों के प्रश्न-पत्र, गोपनीय मुद्रकों द्वारा केन्द्रवार दिनांक 18 फरवरी, 2016 से 21 फरवरी 2016 तक जिला पदाधिकारी के पास भेजे जायेंगे। इसे सुरक्षित रूप से बैंक या कोषागार में रखने की व्यवस्था की जाय।

प्रत्येक जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला परीक्षा नियंत्रक होते हैं, जो मुख्य जिला परीक्षा नियंत्रक (जिला पदाधिकारी) की सहमति से एवं उनके निर्देशन में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे :-

परीक्षा संचालन के संबंध में महत्त्वपूर्ण निदेश :-

1. इस वर्ष कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को ध्यान में रखकर प्रत्येक परीक्षा केन्द्र, जहाँ 500 तक परीक्षार्थी हैं वहाँ दो सी0सी0टी0वी0 एवं जहाँ 500 से अधिक हैं वहाँ तीन ग्राउण्ड के बाहर CCTV कैमरा लगाया जाएगा ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन में बाधा डालने वाले असमाजिक तत्व कैमरा की नजर में रहे।

2. वीक्षकों की नियुक्ति एवं प्रतिनियुक्ति के संबंध में :-

- (A) अनुमंडलवार परीक्षा केन्द्रों पर वीक्षकों की नियुक्ति निर्धारित मापदण्ड के अनुसार करते हुए उनकी प्रतिनियुक्ति Randomisation के तहत किया जाएगा। वीक्षकों की नियुक्ति आवश्यकता से दस फीसदी अधिक की संख्या में करते हुए, उनका नियुक्ति पत्र दिनांक 18-02-2016 तक निर्गत किया जाएगा।
- (B) दिनांक 19-02-2016 तक वीक्षकों के लिये एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा।
- (C) परीक्षा प्रारम्भ होने के दो दिन पूर्व परीक्षा केन्द्रवार वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति अनिवार्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा निर्गत करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
- (D) परीक्षा तिथि को केन्द्र पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं उप केन्द्राधीक्षक (प्रशासनिक) की सहमति से केन्द्राधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कौन वीक्षक किस कमरे में प्रतिनियोजित होंगे। किसी भी परिस्थिति में गैर शिक्षक एवं अन्य किसी कर्मचारी को वीक्षण कार्य में नहीं लगाया जाएगा। जिस महाविद्यालय /विद्यालय के परीक्षार्थी किसी केन्द्र से सम्बद्ध हों, उस महाविद्यालय /विद्यालय के शिक्षकों /कर्मचारियों को वहाँ प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा। केन्द्राधीक्षक यह आश्वस्त हो लेंगे कि वीक्षकों की नियुक्ति निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप हैं।

